an>

Title: Need to revise rates of G.S.T. with regard to certain commodities and items.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जीएसटी का पूरा देश ने स्वागत किया है। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और उनकी पूरी टीम का भी पूरे देश ने अभिनंदन किया है। हम सब भी उनका अभिनंदन करते हैं। ज्यादा पैसा सरकार की तिजोरी में आएगा और जब सरकार जनता के पास जाएगी तो जनता सारी दुआ भी आने वाले दिनों में सरकार को देने वाली है। इसके बारे में कोई दो मत नहीं हैं। मैं जब विपक्ष में भी था तो जब सरकार टैक्स बढ़ाती थी तो मैं उसका भी समर्थन करता था क्योंकि पैसे के बगैर कोई देश चलने वाला नहीं है। लेकिन जब टैक्स का रिफॉर्म होता है तो कुछ करैक्शन की भी कभी-कभी आवश्यकता होती है। यह सरकार के ध्यान में नहीं होता। अधिकारी जिस प्रकार की फीडिंग करते हैं, उसके हिसाब से कामकाज किया जाता है।

इन दिनों जो जीएसटी होटल इंडस्ट्री पर लगा है, 5 प्रतिशत लगा है, उन्होंने भी स्वागत किया है। 12 प्रतिशत का भी स्वागत किया गया है और फाइव स्टार होटल्स पर 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का भी स्वागत किया गया है। लेकिन जो मिक्स्ड होटल्स हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर 2000 फीट का होटल है और 500 फीट उसमें एयरकंडीशंड है, तो 1500 फीट वाले को भी 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। यानी जो नॉन-ए.सी. में जाकर बैठते हैं, उनके ऊपर भी ए.सी. का चार्ज लगाया जाता है। यह बात मैं सरकार के ध्यान में लेकर आया हूं। डेलीगेशन भी इस संबंध में मिलकर गया है। सरकार ने इस बात को मान भी लिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि ये जो पार्सल लेकर जाते हैं, उनके ऊपर भी 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। वे तो ए.सी. का भी यूज़ नहीं करते हैं और नॉन ए.सी. का भी यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन नोट अगर चढ़ाया जाए तो देश में जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी क्रिएट हुई है, वह भी खत्म होगी और बड़े पैमाने पर कामकाज और धंधा-कारोबार भी बढ़ेगा और सरकार की तिजोरी में पैसा भी ज्यादा आएगा। इसलिए मैं देश की जनता की ओर से फिर एक बार जीएसटी का स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष :

श्री दुष्यंत सिंह,

श्री निशिकान्त दुबे,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री शरद त्रिपाठी,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल,

डॉ. किरिट पी. सोलंकी,

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्री रोड़मल नागर और

श्री आलोक संजर को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।